<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
जितेन्द्र कुमार अबोटी
बनाम
लोक सूचना अधिकारी, (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)
सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353521208976174</th><th>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>26/09/25</td><td>अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार अबोटी निवासी 120 बी–सी ईस्ट पटेल नगर सर्किट हाउस रोड़ रातानाड़ा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 22.07.2025 को अतिरिक्त जिला कलक्टर भू. रू. कार्यालय में विचाराधीन भूमि रुपान्तरण, नियमितीकरण एवं संपरिर्वतन के लिये तत्कालीन उपरखण्ड अधिकारी भू. रू. जोधपुर के आदेश से राज्यकोष में जमा कराई गई राशी 14,520/– के रिफण्ड की पत्रावली प्रार्थी जुगल किशोर के प्रकरण में, समस्त आदेशिकाएं, जिन्हें भी अब तक जारी पत्र एवं अब तक की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचनाऐ एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td><td></td></tr>
</table>

Signature valid

Digitally signed by G[illegible]av Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.09.2[illegible] [illegible]3:00:04 IST
Reason: Approved